COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R 206-PBR/08 Rs 15/-

श्री राम सेवक शर्मा अभि० द्वारा आज दि० 27-2-08 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर 27.2.08

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश मोती महल ग्वालियर

क्रमांक:- / 2008 रिवीजन सीलिंग प्रकरण

1- रघुवीर सिंह

2- इन्दर सिंह पुत्रगण निहाल सिंह जाट निवासीगण-ग्राम भलका तहसील भाण्डेर जिला दतिया म.प्र. ---- आवेदकगण

बनाम

1- शोभाराम —

2- मोटीराम पुत्रगण नथुआ जादव निवासी ग्राम भलका तहसील भाण्डेर जिला दतिया

3- रामकिशन यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी-ग्राम ऐहरौनी तहसील भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.

4- रामजी

5. मंगल पुत्रगण मुरली यादव

6. धर्मा पुत्र धन्नू यादव

7. वृन्दावन पुत्र धन्नू यादव

8. कल्लू पुत्र गोकुली कोरी समस्त निवासी-ग्राम भलका तहसील भाण्डेर जिला दतिया

9. म.प्र. शासन ---- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.02.2008 द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक- 147/08 आर./दतिया

रामसेवक शर्मा अभिभाषक

27-2-08

27/2/08 (Gwalior)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 206–अध्यक्ष/08 **जिला** –दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
10.12.15	यह निगरानी प्रकरण कमांक 206–अध्यक्ष/08 राजस्व मण्डल में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 147/08/आर/दतिया में पारित आदेश दिनांक 25.2.08 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है । 2– आवेदक अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदक अधिवक्ता श्री शर्मा एवं आवेदक कमांक–1 श्री रघुवीर सिंह स्वयं उपस्थित होकर राजस्व मण्डल से यह प्रकरण समाप्त कर अभिलेख अधीनस्थ न्यायालयों को सुनवाई हेतु भेजने का निवेदन किया तथा इस संबंध में एक लिखित आवेदन पत्र भी दिया । आवेदक कमांक–1 श्री रघुवीर सिंह द्वारा समक्ष में बताया गया कि आवेदक कमांक–2 श्री इन्द्र सिंह उनके बड़े भाई है तथा वह अत्यंत बृद्ध होने के कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आ सकते हैं एवं रघुवीर सिंह स्वयं हमेशा उनके हितों के संबंध में उनका पक्ष समर्थन करते रहे है। अतः दिये गये आवेदन के आधार पर प्रकरण राजस्व मण्डल से समाप्त करने का अनुरोध किया गया । विद्वान अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा ने समक्ष मे बताया कि वह दोनों आवेदकगण को लंबे समय से जानते हैं तथा उन्हें यह मालूम है कि रघुवीर सिंह के साथ–साथ इन्द्र सिंह भी प्रकरण राजस्व मण्डल से वापिस लेने के इच्छुक हैं। उन्होंने दोनों आवेदकों के अधिवक्ता होने के नाते उनकी ओर से किये जा रहे प्रकरण समाप्त करने के इस	

अनुरोध को मान्य करने का निवेदन किया । तथा यह भी निवेदन किया कि समस्त अभिलेख (राजस्व मण्डल के अभिलेख को छोड़कर) निर्णय की प्रति के साथ अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को उनके प्रकरण में संलग्न किये जाने हेतु प्रेषित कर दिया जाय।

3– विद्वान अधिवक्ता एवं निगंराकार द्वारा किये गये उक्त निवेदन के प्रकाश में यह प्रकरण इसी स्टेज पर राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है । अभिलेख वापस हों। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो ।

सदस्य 10.12.15